मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 03 /2022

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः मार्च 24,2022

विषयः- मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय में योजित ऐसी रिट याचिकाएं, जिनमें एक से अधिक शाखाओं/इकाईयों/जनपदों से कार्यवाही अपेक्षित हो, ऐसे प्रकरणों में सम्बंधित शाखा/इकाई/जनपद द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित कर प्रभावी प्रति-शपथपत्र दाखिल किये जाने हेतु।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में प्रभावी शपथपत्र तैयार कराकर दाखिल कराने हेतु पूर्व में ही पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं। मा0 न्यायालयों द्वारा अनेक प्रकरणों में अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रतिशपथपत्र दाखिल किये जाने के निर्देश प्राप्त होते हैं, जिनकी विषयवस्तु एक से अधिक शाखा/इकाई/जनपद से सम्बन्धित होती है, ऐसे प्रकरणों में प्रभावी शपथपत्र तैयार कराने के लिये सभी संबंधित शाखाओ/इकाईयों/जनपदों की ओर से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये प्रतिशपथपत्र तैयार कराने की आवश्यकता होती है।

डीजी-परिपत्र सं0 - 50/2016 दि0-17.08.2016
डीजी-परिपत्र सं0 - 24/2018 दि0-24.05.2018
डीजी-परिपत्र सं0 - 71/2014 दि0-24.11.2014

2- मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं अथवा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की विषयवस्तु एक से अधिक शाखा/इकाई/जनपद से सम्बन्धित होने की दशा में प्रतिशपथपत्र तैयार कराने हेतु किस शाखा/इकाई/जनपद द्वारा पहल कर प्रतिशपथपत्र तैयार कराया जायेगा यह स्पष्ट न होने के कारण अनेक प्रकरणों में प्रतिशपथपत्र तैयार कराने में बाधा उत्पन्न हुई है तथा परस्पर समन्वय के अभाव में प्रभावी शपथपत्र तैयार कराने में विलम्ब भी कारित हुआ है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही में इस प्रकार की स्थिति स्वीकार्य नहीं है, अतः भविष्य में एक से अधिक शाखा/इकाई/जनपदों से सम्बन्धित प्रकरणों में प्रतिशपथपत्र तैयार कराने हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं-

i. **मा0 न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की रिट याचिका योजित होने अथवा प्रतिशपथपत्र दाखिल किये जाने पर, जिसकी विषयवस्तु एक से अधिक शाखा/इकाई/जनपदों से सम्बन्धित हो, रिट याचिका की प्रति तथा मा0 न्यायालय का आदेश विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सभी सम्बन्धित शाखाओं/इकाईयों/जनपदों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।**

ii. **मा0 न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका एवं मा0 न्यायालय के आदेश की विषयवस्तु मुख्यरूप से जिस शाखा/इकाई/जनपद से सम्बन्धित है उसके प्रभारी अधिकारियों द्वारा पहल करते हुये प्रतिशपथपत्र तैयार कराने हेतु नोडल अधिकारी का दायित्व निभाया जायेगा। प्रभारी अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि जो सूचनायें अन्य शाखा/इकाई/जनपद से प्राप्त की जानी हो उन्हें प्राप्त करने हेतु उन शाखाओं/ इकाईयों/जनपदों के प्रभारी अधिकारियों से सम्पर्क व समन्वय स्थापित किया जाय।**

.....2

iii. प्रभावी प्रतिशपथपत्र तैयार कराने हेतु विचार-विमर्श करने के लिये सम्बन्धित शाखाओं/इकाईयों/जनपदों के भिज्ञ अधिकारियों की संयुक्त बैठक भी आयोजित की जा सकती है।

iv. रिट याचिका / मा0 न्यायालय के आदेश की विषयवस्तु जिस शाखा / इकाई /जनपद से सम्बन्धित होगी उस शाखा/इकाई/जनपद द्वारा समेकित नरेटिव तैयार किया जायेगा और सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर प्रतिशपथपत्र तैयार कराया जायेगा।

v. प्रतिशपथपत्र तैयार कराने हेतु प्रकरण से भिज्ञ राजपत्रित अधिकारी को मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु नामित किया जायेगा।

vi. प्रत्येक शाखा/इकाई/जनपद में मा0 न्यायालय से संबंधित कार्य हेतु एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

vii. यदि सम्बन्धित शाखाओं/इकाईयों/जनपदों से समन्वय स्थापित करने अथवा सूचना प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी.एस.ओ. के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जायेगा।

अतः उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन कर लें तथा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

24/3

(मुकुल गोयल)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।